1

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—नर्सिंग / नर्स—2 / 535-27965/जो.जयपुर / 2024 / 369 दिनांक— 20/5/24

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
एवं केस प्रभारी अधिकारी(स्थानान्तरण / पदस्थापन)
मुख्यालय ।

विषय— एस.बी.सिविल रिट संख्या 1706 / 2023 सुनिता कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता बनाम सरकार व अन्य माननीय माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एस.बी.सिविल रिट संख्या 1706 / 2023 सुनिता कुमारी, म. स्वा.कार्यकर्ता बनाम सरकार व अन्य माननीय माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई है में आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, प्रकरण की बिन्दुवार तथ्यात्मक निम्नानुसार हैः—

1. विवादास्पद नहीं है।
2. सत्यापन के अध्याधीन मान्य है ।
3. यथा लिखित मान्य नहीं है । विभाग द्वारा आमजन को सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये जिन चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत पदों से अधिक कार्मिक पदस्थापित होने के कारण अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन किया गया है।
4. यथा लिखित मान्य नहीं है । प्रकरण में निदेशालय के आदेश क्रमांक 640 दिनांक 03.09.22 के क्रम संख्या 234 पर अंकित सुनिता कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता को अधिशेष होने के कारण इन्हें प्रा.स्वा.केन्द्र सिंगनोर, झुन्झुनु से उप केन्द्र भाडा, बाडमेर में म.स्वा.कार्यकर्ता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है । पंचायत राज की सहमति के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ—4 (1)सशक्ति / विधि / परा / 2018 / 814 दिनांक 16.06.2018 के अनुसार पृथक विभाग की सहमति की आवश्यकता नही है।

   यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप—2 विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 11.01.2022 में यह उल्लेखित है कि मंत्रीमण्डल सचिवालय के विज्ञप्ति क्रमांक प.11 (1)मं.मं. / 2018 दिनांक 22.11.2021 में चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायत राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का भी स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया गया है। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार जवाब—दावा प्रस्तुत करावे । यदि किसी बिन्दु विशेष पर राय / टिप्पणी की आवश्यकता हो तो अविलम्ब निदेशालय में संपर्क करे ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7149278

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.20 20:08:08 IST
Reason: Approved

क्रमांकः—नर्सिंग / नर्स—2 / 535-27965/ जो.जयपुर / 2024 / 369 दिनांक— 20/5/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
2. संबंधित राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता राज. उच्च न्यायालय, जयपुर ।
3. आदेश / रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7149278

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.15 20:08:08 IST
Reason: Approved